

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 5(2)कार्मिक/क-2/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.12.2015

शुद्धि पत्र

विषय:- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में संशोधन के संबंध में।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5.12.1992 जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 5.1.93 भाग 4(ग) उपखण्ड (I) जी.एस.आर 41 के अधीन पृष्ठ-103(1) से 103(33) पर हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुई है, में निम्नलिखित शुद्धियों की जावेगी :-

1. नियम 8. के अन्तर्गत:-

- (i) क्लॉज (क) में आया शब्द "नगरिक" के स्थान पर शब्द "नागरिक" पढ़ा जावे।
- (ii) क्लॉज (ड) में दूसरी पंक्ति में शब्दों "पाकिस्तान" और "श्री लंका" के बीच आया शब्द "बर्मा" के स्थान पर शब्द "म्यांमार" पढ़ा जावे।
- (iii) क्लॉज (ड) में नीचे आये पैरे की चौथी पंक्ति में शब्दों "भर्ती" और "द्वारा" के बीच आया शब्द "प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" पढ़ा जावे।

2. नियम-24. में दूसरी पंक्ति में अंक "40%" और शब्द "प्राप्त" के बीच शब्द "अंक" पढ़ा जावे।

3. नियम-32. में पाँचवी पंक्ति में अंतिम शब्द "जायगी" के स्थान पर शब्द "जायेगी" पढ़ा जावे।

4. नियम-34. के परन्तुक (iv) की प्रथम पंक्ति में शब्दों "जो" और "एवं" के बीच आया शब्द "पुनर्विलोकन" के स्थान पर शब्द "पुनर्विलोकन" पढ़ा जावे।

5. नियम-35. के उप नियम (1) के नीचे आया परन्तुक (ii) में शब्दों "जिसमें" और "व्यक्ति" के बीच आया शब्द "काई" के स्थान पर शब्द "कोई" पढ़ा जावे।

6. नियम-37. के उप नियम (1) की छठी पंक्ति में शब्दों "सकेगा या" के पश्चात् आया शब्द "असकी" के स्थान पर शब्द "उसकी" पढ़ा जावे।

7. नियम-41. की कम संख्या 3 में आया शब्द 'युक्तियुक्तकरण' के स्थान पर शब्द 'युक्तियुक्तकरण' पढ़ा जावे।

आज्ञा से


(ओ० पी० गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

65/2015